L

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक 224/ प्र.अ./विधि(पीए)/लो.स्वा.यां.वि./2026 भोपाल, दिनांक 29/4/2026

//आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 20333/2014 (श्रीमती बसंती बाई विश्वकर्मा बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) जो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड दमोह के अधीनस्थ कार्यरत रहे, स्वर्गीय श्री काशीराम विश्वकर्मा, कार्यभारित हैडपंप मैकेनिक की पत्नी श्रीमती बसंती बाई विश्वकर्मा के द्वारा दायर की गई थी, में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के परिपालन में मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक 124 दिनांक 24.04.2026 जारी कर परिवार पेंशन की पात्रता का निर्धारण किया गया है ।

इस कार्यालय द्वारा यह पाया गया है कि निराकरण आदेश क्रमांक 124 ग्वालियर दिनांक 24.04.2026, मान न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2024 में निहित प्रश्नो का सारवान रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है । उक्त आदेश को निरस्त करते हुए रिट याचिका में उल्लेखित न्याय दृष्टांतों पर विचार करते हुऐ नये सिरे से उनकी परिवार पेंशन की पात्रता का निर्धारण इस नवीन आदेश द्वारा किया जा रहा है।

(1) श्रीमती बसंती बाई विश्वकर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 20333/2014 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(i)That this Honble Court may kindly be pleased to Call relevant record pertaining to impugned order from respondent department for its kind perusal

(ii)That this Honble Court may kindly be pleased to quash the impugned order dated 22.7.2010 (P/6) in the interest of justice.

(iii)That this Honble Court may kindly be pleased to further to direct the respondents to pay the pension and arrears of the pension amount with interest w.e.f her entitlement.

(iv) Any other relief/order or direction as this Honble Court deems fit looking to the facts and circumstance of the case may kindly also be awarded In the interest of justice along with the cost of the proceedings.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका क्रमांक 20333/2014 का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

7. Consequently, the present petition is also disposed of in similar terms and the order passed by coordinate Bench in W.P. No. 14963/2019 shall apply to the case of the present petitioner also mutatis mutandis. The impugned Annexure P/6 is quashed and the respondents are directed to deal with the case of the petitioner for grant of family pension afresh in the above terms.

रिट याचिका कमांक 14963/2019 (वीरन बाई सोनी बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में दिनांक 28.06.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:–

> Thus, in the light of Bhama Bai Janghela (supra), the case of the petitioner is required to be reconsidered. Accordingly the impugned order dated 25.10.2019 which is contained in Annexure P/9 is quashed. The respondents are directed to consider and decide the claim of the petitioner as regards the Family Pension to the petitioner in the light of judgment of this Court in the cases of Vishwanath Prasad Tiwari (supra) and Bhama Bai Janghela (supra), within a period of 60 days from the date of production of certified copy of this order.
>
> The petitioner shall be at liberty to place the relevant documents including the above orders before the competent authority within above stipulated period.
>
> With the aforesaid, the writ petition stands disposed of.

(4) न्यायालयीन निर्णय में उल्लेखित न्यायदृष्टांतो का विवरण

रिट याचिका कमांक 20333/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड दमोह में कार्यरत रहे श्री काशीराम विश्वकर्मा मृतक कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक की पत्नी श्रीमती बसंती बाई विश्वकर्मा द्वारा रिट पिटीशन के माध्यम से चाहे गये परिवार पेंशन के लाभ का निर्धारण किया जाना है ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार परिवार पेंशन संबंधी मुद्दे का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरण रिट पिटीशन कमांक 9988/2017 (विश्वनाथ प्रसाद तिवारी बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2019 यानि **"विश्वनाथ प्रसाद तिवारी (सुप्रा)"** एवं रिट पिटीशन कमांक 8335/2021 (भामा बाई जघेला बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 यानि **"भामा बाई जघेला (सुप्रा)" में पारित निर्णयों** के प्रकाश में किया जाना है।

इस कार्यालय द्वारा दोनों ही निर्णयों का अध्ययन किया गया है। इन निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्यभारित स्थापना का मृतक कर्मचारी, जिसकी कुल कार्यभारित सेवा अवधि 10 वर्ष से कम थी किंतु जिसने 06 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवाये पूर्ण की थी, की विधवा को परिवार पेंशन की पात्रता होगी।

(5) न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

उपरोक्तानुसार रिट याचिका कमांक 20333/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के परिपालन में याचिकाकर्ता श्रीमती बंसती बाई विश्वकर्मा के प्रकरण का निराकरण **"विश्वनाथ प्रसाद तिवारी (सुप्रा)"** एवं **"भामा बाई जघेला (सुप्रा)" में पारित निर्णयों** के प्रकाश में किया जाना है।

(6)याचिकाकर्ता को देय लाभों का निराकरण

यदि याचिकाकर्ता के दावे पर **"विश्वनाथ प्रसाद तिवारी (सुप्रा)"** एवं **"भामा बाई जघेला (सुप्रा)"** इन न्यायालयीन निर्णयों के प्रकाश में विचार किया जावे तो याचिकाकर्ता को परिवार पेंशन की पात्रता आती है किन्तु उसका यह दावा निम्न आधारों पर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है :–

(अ)"विश्वनाथ प्रसाद तिवारी (सुप्रा)" एवं "भामा बाई जघेला (सुप्रा)",दोनों न्यायालयीन निर्णय म.प्र.शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक/बी.25/17/95 पी.डबल्यू.सी./चार/भोपाल दिनांक 30 जनवरी 1996 की गलत व्याख्या पर आधारित है:–

(i) म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता) से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 के अनुसार कार्यभारित स्थापना में पेंशन की पात्रता हेतु 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा का होना अनिवार्य है।

(ii)वित्त विभाग के परिपत्र कमांक/ बी.25/17/95 पी.डबल्यू.सी./चार/भोपाल दिनांक 30 जनवरी 1996 के माध्यम से म.प्र. (कार्यभारित तथा आकस्मिकता) से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 के नियम 6(2) के पश्चात नियम 6(3) जोड़ा गया है जिसमें उल्लेख है कि :–

> "किसी अस्थायी कर्मचारी के बिना किसी व्यवधान के किसी भी नियमित पेंशन योग्य पद पर संविलियन किये जाने पर 01 जनवरी 1974 से आगे की गई सेवा, बशर्ते कि ऐसी सेवा 06 वर्ष से कम की न हो पेंशन के लिये गिनी जायेगी मानो की ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो"।

(iii) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जनवरी 1996 के संबंध में विभाग का मत है कि यह परिपत्र कार्यभारित स्थापना से सेवा संविलियन के माध्यम से नियमित स्थापना में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित है। इसका आशय किसी नियमित स्थापना के कर्मचारी को उसके द्वारा पूर्व में कार्यभारित स्थापना मे पूर्ण की गई सेवाओं (6 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम) का लाभ पेंशन प्रयोजन हेतु देना है।

(iv) म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 मात्र ऐसे कार्यभारित कर्मचारियों के लिये ही पेंशन के प्रावधान करते हैं, जिनकी सेवायें न्यूनतम 10 वर्ष रही है। इस परिपत्र के माध्यम से कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु पेंशन की पात्रता हेतु न्यूनतम सेवाकाल 10 वर्ष से घटाकर 06 वर्ष नहीं किया गया है।

(v) दरअसल माननीय न्यायालयों द्वारा इस परिपत्र की त्रुटिपूर्ण व्याख्या इस वजह से की जा रही है क्योंकि परिपत्र को कार्यभारित स्थापना के पेंशन नियमों में शामिल किया गया है जबकि उक्त संशोधन /प्रावधान म.प्र.(कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)पेंशन नियम 1979 के स्थान पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1976 में जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि यदि कार्यभारित स्थापना के अस्थायी कर्मचारी (जिनका सेवाकाल 10 वर्ष नहीं हुआ हो) का संविलयन नियमित सेवा में किया जावेगा तो वह नियमित स्थापना का कर्मचारी बन जावेगा तथा सेवानिवृत्ति के समय उसे म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू होंगे। कार्यभारित पेंशन नियम में उक्त संशोधन जोड़ने से माननीय न्यायालय इस संबंध में भ्रमित हुआ है तथा उसने यह समझा है कि इस संशोधन के माध्यम से कार्यभारित स्थापना में पेंशन की पात्रता हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष से घटाकर 06 वर्ष कर दी गई है।

(vi) लेख है कि कंडिका–(v) में उल्लेखित विसंगति पर महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा भी अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 3138 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से सहमति जतायी गयी है तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक 11204 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से उक्त विसंगति को दूर करने के लिये शासन को आवश्यक प्रस्ताव म.प्र.शासन वित्त विभाग की ओर प्रेषित करने के लिये भेजा गया है।

(ब) म.प्र.शासन, वित्त विभाग द्वारा म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय) कर्मचारी पेंशन नियम 1979 के नियम 6(3) में वर्ष 2023 में संशोधन कर दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी सेवा से सेवा संविलयन के माध्यम से कार्यभारित सेवा में आता है तो उसकी 06 वर्ष की सेवायें पेंशन के लिये गणना में नहीं ली जावेगी । यदि कोई कार्यभारित स्थापना का कर्मचारी सेवा संविलयन के माध्यम से नियमित स्थापना के पद पर आता है तो ही 06 वर्ष या उससे अधिक की सेवायें पेंशन योग्य होंगी।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 751/2020 (रामविशाल पटेरिया बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2025 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

27. The said rules also had an amendment on 01.01.1996 inserting a special provision that on absorption of temporary employee without interruption against any regular pensionable post, the service rendered from 01.01.1974 onwards if it is more than six years, shall be counted for pension as if it was rendered in regular post. The relevant Rule 6(3) as was originally inserted on 01.01.1996 initially was as under:-

"(3) On absorption of temporary employee without interruption against any regular pensionable post, the service rendered with effect from Ist January, 1974 onwards, if such service is of less than six years shall be counted

for pension as if such service was rendered in a regular post."

.....

.....

48. So far as the 2023 amendment is concerned, it was not placed for consideration before the Division Bench in the above case. The amendment has been made vide notification dated 27.02.2023 published in M.P. Gazette extraordinary dated 27.02.2023 amending the questioned Rule 6(3) of Pension Rules, 1979 and there has been a correction in the said amendment on 28.12.2023. After correction, the amended provision reads as under:-

> "(3) A service made after 1 January, 1974 on the provisions of any regular pensionable post for any temporary employee, without any interference, provided that such service is not less than six years shall be counted for pension suppose that such a service has been done on a regular basis.".

49. The said amendment has been made effective from 30.01.1996 which is the date when the earlier provision of Rule 6(3) on which the judgment of the case of Rahisha Begum (supra) was based had been inserted. Therefore, the provision inserted on 30.1.1996 which was the basis for judgment in the case of Rahisha Begum (supra) has now been changed with retrospective effect from 30.01.1996 and undisputedly the vires of the said amendment have not been put to challenge by any of the petitioners.

50. After the said amendment, the services rendered after 01.01.1974 shall count towards pension only if the services have been rendered on the provision of any regular pensionable post. Earlier, the provision was "absorption" on any regular pensionable post but now the provision is that the temporary "service" should also be on a regular pensionable post.

.....

.....

52. Despite amendment in Rule 6(3) of Pension Rules, 1979 it is seen that there has been no change or amendment in Rule 2(c)

of the Pension Rules, 1979 which defines a Permanent Employee as a contingency paid employee or work-charged employee who has completed 15 years of service or more after 1.1.1974, and in case of pensioner, who completes 10 years of service.

53. Therefore, on account of amendment dated 27.02.2023, though the special relaxation given to temporary contingency paid employees completing at least 6 years of service and to reckon the said service for pension if they are appointed or absorbed against any regular post has been diluted, but the provision of Rule 2(c) has still not been diluted.

54. As per Rule 2(c) an employee completing 15 years of service or more after 1.1.1974 would acquire the status of permanent employee.

(7) उपरोक्तानुसार रिट याचिका क्रमांक 20333/2014 (बंसती बाई विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) मे पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के परिपालन में कंडिका–(6) में उल्लेखित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के आधार पर सम्पूर्ण विचारोपरांत याचिकाकर्ता श्री बंसती बाई के परिवार पेंशन संबंधी दावे को अमान्य किया जाता है।

(8) यदि याचिकाकर्ता इस कार्यालय द्वारा किये गए इस निराकरण से असंतुष्ट है वह अपनी अपील इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 02 माह के भीतर प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

29/4

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 3502 /प्र.अ./विधि(पीए)/लो.स्वा.यां.वि./2026

भोपाल, दिनांक 29/4/26

प्रतिलिपि :–

01 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दमोह/सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05 श्रीमती बंसती बाई, पत्नी स्व. श्री काशीराम विश्वकर्मा, डॉ.बी.बी. राय कम्पाउंड के पास गोपाल गंज सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29/4

प्रमुख अभियंता